रोहिणी योजना के अन्तर्गत विकसित किए गये प्लाट

4837. श्री अनवार अहमद : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोहिणी आवास योजना के अन्तर्गत श्रेणी वार कितने प्लाटों को विकसित किया जा रहा है तथा 31 जनवरी, 1984 तक विकसित किये गये प्लाटों की संख्या क्या है ? और

(ख) क्या यह सच है कि योजना के अधीन सभी श्रेणियों के प्लाटों के लिए आवेदकों की संख्या प्रत्येक श्रेणी में उपलब्ध प्लाटों की संख्या से कम है और यदि हां, तो बकाया प्लाटों की बिक्री किस प्रकार से की जायेगी;

खेल विभाग में निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि रोहिणी योजना के अन्तर्गत कुल 16,150 मध्यम आय वर्ग, 45000 निम्न आय वर्ग तथा 51,000 आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग/जनता प्लाटों को विकसित किया जाना है। 31 जनवरी, 1984 तक विकसित प्लाटों के वर्गवार ब्यौरे निम्नलिखित है :-

मध्यम आय वर्ग	3806
निम्न आय वर्ग	8789
जनता	7794

(ख) योजना में व्यवस्थित प्लाटों की संख्या निम्न आय वर्ग तथा जनता श्रेणी के आवेदकों की अपेक्षा अधिक है। मध्यम आय वर्ग श्रेणी में प्लाटों की संख्या आवेदकों की संख्या से कम है।

निम्न आय वर्ग तथा जनता श्रेणी के शेष प्लाटों को बेचने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

दिल्ली में गंगा जल की सप्लाई

4838. श्री अनवार अहमद : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के लोगों को गंगा जल सप्लाई करने के संबंध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) दिल्ली में गंगा जल उपलब्ध कराने के लिए चरणबद्ध योजना का ब्यौरा क्या है;

खेल विभाग में निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि शाहदरा जल शोधन संयंत्र (भागीरथी) के कुछ भाग पहले ही चालू कर दिए गए हैं तथा यमुनापार क्षेत्र तथा दक्षिण दिल्ली के भागों को पानी सप्लाई किया जा रहा है।

(ख) संस्थान के अनुसार, उदत संयंत्र से मार्च, 1984 के अन्त तक 25 एम. जी. डी. पानी सप्लाई करना निर्धारित किया है और शेष मात्रा (75 एम. जी. डी.) 1985 तक उत्तरोत्तर सप्लाई की जाएगी।

दक्षिण दिल्ली के शहरी गांवों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना

4839. श्री अनवार अहमद : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण दिल्ली के दश शहरी गांवों जैसे चिराग दिल्ली, जमरुदपुर, कोटला मुबारकपुर आदि को गन्दी बस्ती घोषित करने के विस्तृत कारण क्या है;

(ख) इन 10 शहरी गांवों को गन्दी बस्तियां घोषित करने के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उनमें दी गई अतिरिक्त सुविधाओं का ब्यौरा क्या है, और इन गांवों के विकास के लिए प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत कितनी धनराशि खर्च की गई हैं; और

(ग) इन गांवों में नागरिक सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दी जाएंगी ?

खेल विभाग में निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार 10 शहरी गांवों तथा कोटला मुबारकपुर को मलिनबस्ती क्षेत्र घोषित करने का कारण इन क्षेत्रों में मूल-भूत सुविधाओं का अभाव है जिनके कारण इन क्षेत्रों में रह रहे समुदाय की सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा आदर्श के लिए यह क्षेत्र हानिकारक है ।

(ख) विवरण में दिये गये हैं ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि निधियों की उपलब्धता के अनुसार इन सभी गांवों में सभी जनसुविधायें मुहैया कराये जाने की सम्भावना है ।

विवरण

	गांव का नाम तथा कार्य	व्यय (रुपये)
1.	**अरमपुर बाग मोची**	
	पहुंच मार्ग	95,773.23
	फुटपाथ	88,811.65
	चौपाल	31,403.59
	स्ट्रीट लाईट मुहैया करना	60,785.00
		2,78,773.47
2.	**हरि नगर आश्रम**	
	स्ट्रीट लाइट मुहैया करना	33,193.60
3.	**किलोकरी तथा सिद्धार्थ बस्ती**	
	चहार दिवारी तथा ग्रिल	2,04,847.35
	शौचालय ब्लाक	1,29,781.27
	समतल करना तथा दरेसी करना	7,895.25
	चौपाल	1,35,884.16
	मल निर्यास लाइन	49,364.60
	गली में सीमेन्ट कन्क्रीट बिछाना	3,72,428.80
	स्ट्रीट लाइट मुहैया करना	45,012.65
		9,45,214.17

	गांव का नाम तथा कार्य	व्यय (रुपये)
4.	सराय काले खां तथा गांव नांगली	
	समतल तथा दरेसी करना	1,38,135 20
	चौपाल	44,059.73
	चहार दीवारी	1.57,669.28
	नाला	1,30,391.10
	सार्वजनिक नल	7,345.94
	पटरी बिछाना	2,59,899.77
	पहुच मार्ग	1,34,938.77
	स्ट्रीट लाइट	64,212.45
		9,36.652.22
5.	चिराग दिल्ली	
	जल की मुख्य नालियां	9,22,478.11
	वाटर बाण्ड मेकेडम रोड(जलबद्धरोड)	1,13,021.03
	शौचालय ब्लाक	1,01,337.46
	पठरी बिछाना	3,41,833.74
	स्ट्रीट लाइट मुहैया करना	93,736.45
		15,72,406.79
6.	गढ़ी फड़ीया मड़िया	
	लाल पत्थर बिछाना	1,84,178.91
	चहार दिवारी	28,490.90
	पूर्व मिश्रित	2.72,634.23
	मल निर्यास लाइन	57,541.54
	स्ट्रीट लाइट मुहैया करना	92,285.37
		6,35,132.95

	गांव का नाम तथा कार्य	व्यय (रुपये)
7.	**बसन्त गांव**	
	पम्प हाऊस	28,654.01
	लाल पत्थर बिछाना	2,00,013 18
	स्ट्रीट लाइट मुहैया करना तथा जल पूर्ति के लिए विद्युत पम्प मुहैया करना	3,02,700.72
		5,31,367 91
8.	**कोटला मुबारकपुर**	
	शौचालय ब्लाक	55,013.72
	नालियां तथा मल निर्यास	63,403.72
	लाल पत्थर बिछाना	45,780.54
	चौपाल	19,645.16
	पटरी बिछाना	6,85,672.11
	स्ट्रीट लाइट मुहैया करना	94,583.75
		9,63,099.00
9.	**मदनगीरी**	
	स्ट्रीट लाइट का प्रावधान	30,761.22
10.	**खिड़की**	
	स्ट्रीट लाइट का प्रावधान	15,098.12
11.	**जमरुदपुर**	
	स्ट्रीट लाइट का प्रावधान	34,244.73

भूतपूर्व सैनिकों को फ्लैटों, दुकानों और स्टालों का आबंटन

4840. श्री निहालसिंह : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 1 जनवरी, 1980 से 31 जनवरी, 1984 के दौरान भूतपूर्व सैनिकों और विकलांग व्यक्तियों को कितने मध्यम आयु वर्ग के फ्लैट और कितने जनता फ्लैट और कितनी दुकानें और स्टाल आबंटित किए गए और उनके लिए कितने प्रतिशत कोटा आरक्षित है ; और

(ख) उक्त आरक्षित कोटे में से इलाका-वार कितने भूतपूर्व सैनिकों को फ्लैट, दुकानें